

डिकी बमूकदमे इब्दादाई
(आदेश 20 नियम 6.7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर
(पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-रोटू

मु0न0 206/2017

वादीगण-

1. भंवरलाल
2. पूनमचंद

राजस्व लोक अदालत अभियान
स्थाप आपके द्वार-2018

3. समाराम पुत्रगण बंशीलाल जातियान विशनोई निवासीगण रोटू तहसील जायल जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण-

1. पप्पु देवी पुत्री बंशीलाल
2. बंशीलाल पुत्र नारायणराम
3. बजरंग लाल पुत्र भगवानाराम
4. बनवारी लाल पुत्र भगवानाराम
5. गोविन्दराम पुत्र भगवानाराम
6. सुप्यारी देवी पत्नी भगवानाराम जातियान विशनोई निवासीगण रोटू तहसील जायल
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल



वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनाक -16.05.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति में हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. वादी संख्या 1 भंवरलाल के हक वंट में मौजा रोटू के खेत ख नं 182 रकवा 20.08 बीघा में से 06.16 बीघा पूर्वी तरफ , ख नं 326/1 रकवा 21.02 बीघा में से 06.19 बीघा उत्तरी तरफ, ख नं 290/1 रकवा 04.01 बीघा में से 01.07 बीघा पूर्वी तरफ , व मौजा दुगोली का ख नं 67 रकवा 14.01 बीघा में से 04.09 बीघा दक्षिणी तरफ रखा जाकर खातेदार घोषित किये जाते है।
2. वादी संख्या 2 पूनमचंद के हक वंट में मौजा रोटू के खेत ख नं 182 रकवा 20.08 बीघा में से 06.16 बीघा पश्चिमी तरफ , ख नं 326/1 रकवा 21.02 बीघा में से 06.19 बीघा दक्षिणी तरफ, ख नं 290/1 रकवा 04.01 बीघा में से 01.07 बीघा पश्चिमी तरफ , व मौजा दुगोली का ख नं 67 रकवा 14.01 बीघा में से 04.09 बीघा उत्तरी तरफ रखा जाकर खातेदार घोषित किये जाते है।
3. वादी संख्या 3 समाराम के हक वंट में मौजा रोटू के खेत ख नं 182 रकवा 20.08 बीघा में से 06.16 बीघा मध्य भाग , ख नं 326/1 रकवा 21.02 बीघा में से 06.19 बीघा मध्य भाग, ख नं 290/1 रकवा 04.01 बीघा में से 01.07 बीघा मध्य भाग , व मौजा दुगोली का ख नं 67 रकवा 14.01 बीघा में से 04.10 बीघा मध्य रखा जाकर खातेदार घोषित किये जाते है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 से 6 कमश बजरंगलाल, बनवारीलाल, गोविन्दराम ,सुप्यारी देवी के सामलाती हक वंट में मौजा दुगोली का खेत ख नं 65 रकवा 14.06 बीघा पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किये जाते है।
5. वादीगण भंवरलाल,पूनमचंद,समाराम व प्रतिवादी पप्पु देवी बंशीलाल के सामलाती हक वंट में मौजा दुगोली का खेत ख नं 67 रकवा 14.01 बीघा में से 0.13 बीघा रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।
6. मौजा रोटू का खेत ख नं 326/1 रकवा 21.02 बीघा में से 0.05 बीघा नजरीनवशानुसार रास्ता राज्य सरकार के पक्ष में घोषित किया जाता है।


तहसीलदार जायल को डिकी पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।

तीज x मुबलिक x बाबत x खर्चा इस मुकदमे मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख तारीख वसूल योगो तक x को अदा करें। बसीबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनाक 16.05.2018 को जारी किया गया।

बन्धु सदस्य
तहसीलदार जायल
राजस्थान सरकार
जिला नगौर

(सुरेश प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी, जामल
उपखण्ड अधिकारी
जिला नगौर

मुद्दा	रुपये	पैसे	मुदायला
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह साबूत मेहनताना वकील खर्चा मुवाहन फीस कमी"नर बाबत इजराय हुक्मीजान मुताफरिफ			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा मुवाहन फीस कमी"नर बाबत इजराय हुक्मीजान मुताफरिफ



टिप :- इस खर्चे के फार्म पर कुल अर्चा यह दो वकील को चाहे डिगरी के जजिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिए।

श्री लक्ष्मी
बन्ध सदस्य
राजस्व लोक अदालत
जायल (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
जायल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल जिला-नागौर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत- रोटू

क्रमांक-रा.लो.अदा.अभि./2018/168 दि 16.5.18

तहसीलदार जायल को डिकरी आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि मुताविक डिकरी आदेश रिपोर्ट में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट आज ही पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी, जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर